

डी एल एफ केयर्स - पॉलिसी गाइडलाइन्स वित्तीय वर्ष 2024 – 2025

क्रम संख्या	पॉलिसी	प्रस्तावित
1	प्रस्तावना	<p>डीएलएफ केयर्स एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम डीएलएफ फाउंडेशन की एक विशिष्ट पहल है जिसका लक्ष्य वंचित परिवारों के जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। परियोजना को 3 साल के मॉड्यूल में डीएलएफ क्यूईसी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।</p> <p>लक्ष्य है सीखने में सहारा देना, बेहतरीन शैक्षिक सपोर्ट उपलब्ध कराना और उपचारात्मक शिक्षा पर ध्यान देते हुए सोशल-इमोशनल लर्निंग/ काउन्सलिंग को उसके साथ जोड़ना इससे लर्निंग गैप कम होगा।</p>
2	विज़न	वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
3	लक्ष्य	वित्तीय सहायता के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके छात्रों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना।
4	उद्देश्य	<p>प्रोग्राम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • भर्ती करें: समग्र विकास के लिए शिक्षित करें, विकसित करें और सहारा दें • सक्षम बनाएं: शैक्षिक उपलब्धियों, योग्यताओं और गुणों को बढ़ाएं • सशक्त बनाएं: सामाजिक और आर्थिक रूप से
5	विषय-क्षेत्र	<p>इन स्कूल: छात्रों को उनकी स्कूली शिक्षा के माध्यम से डीएलएफ केयर्स कार्यक्रम में प्रवेश से वित्तीय और शैक्षिक सहायता।</p> <p>बिगॉन्ड स्कूल:</p> <ul style="list-style-type: none"> • बिगॉन्ड-स्कूल (स्कूल से परे) एक स्वतंत्र कार्यक्रम है जो डीएलएफ केयर्स इन-स्कूल पहल से अलग है। • यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। • शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्र (छात्रों) की वित्तीय आवश्यकता के आधार पर आवेदनों पर वस्तुस्थिति के अनुसार विचार किया जाता है।

6	लक्षित लाभार्थी	<ul style="list-style-type: none"> डीएलएफ परियोजनाओं में और उसके आसपास काम करने वाले मजदूरों, कामगारों और लोगों के बच्चे मौजूदा डीएलएफ केयर्स इन-स्कूल छात्र नए कार्यक्रम का हिस्सा बने रहेंगे
7	शामिल करना और भर्ती शैक्षिक वर्ष 2024 - 25	<p>आवेदन आमंत्रण</p> <p>आवेदन सत्यापन</p> <p>छात्रवृत्ति परिणामों की घोषणा (ऑनलाइन) बेसलाइन एसेसमेंट</p> <ul style="list-style-type: none"> स्कूल बंद होने के कारण इस वर्ष सीखने के अंतराल की पहचान करने के लिए प्रवेश के सभी स्तरों पर आधारभूत मूल्यांकन शुरू किया गया है। यह उपचारात्मक क्लस्टर बनाने में मदद करेगा जो छात्रों को अपनी कक्षा के वांछित स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
8	कार्यक्रम की अवधि	<ul style="list-style-type: none"> इन-स्कूल: कक्षा I-XII (कार्यक्रम में भाग लेने के नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन)। बिगॉन्ड-स्कूल: कोर्स की अवधि के आधार पर।
9	पात्रता	
a.	आय मानदंड	<ul style="list-style-type: none"> प्रति वर्ष 0-4 लाख रुपए की पारिवारिक आय, जो नियोक्ता कंपनी द्वारा विधिवत सत्यापित हो, जहां माता-पिता/अभिभावक काम कर रहे हैं। वर्तमान कंपनी में कम से कम 1 साल का रोजगार
b.	शामिल करने की कक्षा	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा I अपवर्ड्स (ऊपर की) ।
c.	प्रवेश प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> पिछली कक्षा का वैध रिपोर्ट कार्ड (प्रोन्नति का प्रमाण) प्रवेश प्रक्रिया बेसलाइन मूल्यांकन पर आधारित होगी। कोशिश यही रहती है कि कोई भी छात्र न छूटे। यह सीखने के अंतराल (जो कोविड के कारण पैदा हो गए हैं) की पहचान करेगा, शिक्षा को बढ़ाएगा और उनकी वैचारिक समझ को मजबूत करेगा। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को उम्र और स्टेज के अनुसार नामांकित किया जाएगा।

10	विशेष ध्यान के अंतर्गत आने वाले	निम्नलिखित को वरीयता दी जाएगी: <ul style="list-style-type: none">• कन्या छात्रा• विशेष आवश्यकता वाले छात्र• भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे• एकल माता-पिता के बच्चे
11	छात्रवृत्ति सहायता अनुदान	वित्त वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति राशि टियर 1 शहर, टियर 2 और टियर 3 में भिन्न होगी। विवरण नीचे उल्लिखित है:

		टाइप	टियर 1	टियर 2	टियर 3
		सरकारी स्कूल			
		सरकारी	10000	7000	5000
		अटल आदर्श स्कूल	10000	7000	5000
		सर्वोदय विद्यालय	10000	7000	5000
		नवोदय विद्यालय	10000	7000	5000
		उत्कर्मिक विद्यालय	10000	7000	5000
		एयरफोर्स स्कूल	10000	7000	5000
		केंद्रीय विद्यालय	10000	7000	5000
		सैनिक स्कूल	10000	7000	5000
		निजी स्कूल			
		सीबीएसई	40,000	30,000	20,000
		आईसीएसई	40,000	30,000	20,000
		स्टेट बोर्ड	40,000	30,000	20,000
		अन्य	10,000	7000	5000
		जहां भी संभव हो, स्कूल को सीधे ट्यूशन फीस, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी आदि के लिए एक समेकित राशि दी जाए। इससे भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।			
		विशेष जरूरतें	75,000	50,000	50,000
		प्रत्येक मामले का विश्लेषण किया जाएगा, और आवश्यकता के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी।			

		<p>शहरों/कस्बों में केंद्रीय विद्यालय, नौसेना, सेना, सीआरपीएफ और अन्य सेवा स्कूलों के मामले में अपवाद हो सकते हैं। स्कूल फीस पर अतिरिक्त खर्च के मामले में चालान जमा करना होगा।</p>
--	--	---

12	आवेदन के तरीके	<ul style="list-style-type: none"> • आवेदन के इच्छुक आवेदकों के माता-पिता / अभिभावक द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाना है। उसके लिए लिंक छात्रवृत्ति आमंत्रण पत्र में साझा किया जाएगा। • एचआर एंडोर्समेंट फॉर्म भरकर फॉर्म को उनकी कंपनी के एचआर द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। इसे आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। • एचआर एंडोर्समेंट फॉर्म के बिना अपूर्ण फॉर्म या फार्मों पर छात्रवृत्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। • आवेदक पिता/माता/अभिभावक की वेतन पर्ची उनकी संबंधित कंपनी के एचआर हेड द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।
13	पूर्व-आवश्यक दस्तावेज	<p>आवेदन पत्र भरते समय प्रासंगिक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पिछली कक्षा का रिपोर्ट कार्ड • स्कूल को सीधे भुगतान के लिए स्कूल के बैंक विवरण के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित शुल्क विवरण। • माता-पिता/अभिभावकों द्वारा जहां भी संभव हो, पार्टनर स्कूल में छात्र को प्रवेश देने का वचन। (गुरुग्राम, दिल्ली और एनसीआर) • माता-पिता द्वारा कार्यक्रम के नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन।

14	छात्रवृत्ति का वितरण	<p>गैर-पार्टनर स्कूल केटेगरी में स्कूल/अभिभावक को और पार्टनर केटेगरी में पार्टनर स्कूलों को सीधे ऑनलाइन स्थानांतरण।</p> <p>अ) गैर पार्टनर : तीन किश्त</p> <p>पहली किस्त: भुगतान मई और जून शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में नामांकन की औपचारिकताएं और संबंधित परामर्शदाता के साथ प्रारंभिक मूल्यांकन और कार्य योजना बैठक पूरी होने पर।</p> <p>दूसरी किस्त: अक्टूबर-नवंबर कार्यक्रम में 6 महीने पूरे होने पर और दूसरी तिमाही (अक्टूबर-नवंबर) के अंत में काउंसलर द्वारा प्रमाणीकरण और छात्र/माता-पिता द्वारा निर्धारित सभी पूर्व-आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा करने की रिपोर्ट के अधीन।</p> <p>तीसरी किस्त: जनवरी-फरवरी कार्यक्रम में 9 महीने पूरे होने पर और अंतिम तिमाही (जनवरी-फरवरी) की शुरुआत में काउंसलर द्वारा प्रमाणीकरण और निर्धारित सभी पूर्व-आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले छात्र / माता-पिता की रिपोर्ट के अधीन।</p> <p>पार्टनर स्कूल आवश्यक दस्तावेजों (उपस्थिति, परिणाम आदि के साथ उपयोग रिपोर्ट) को जमा करने के अधीन तिमाही आधार पर स्कूलों में सीधे स्थानांतरण और ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार विधिवत सत्यापित।</p> <p>सरकारी स्कूल साल में दो बार के आधार पर विद्यार्थी का प्रदर्शन (रिपोर्ट) कार्ड जमा करने पर माता-पिता को सीधा ट्रांसफर</p>
----	-----------------------------	---

15	कार्यक्रम के आधार	<p>1. शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता।</p> <p>1. परामर्श और सलाह</p> <p>विभिन्न आयु समूहों के लिए समर्पित पेशेवर परामर्शदाता, आयु के अनुरूप पहल के साथ नामांकित छात्रों के समग्र विकास की सुविधा के लिए और माता-पिता और छात्रों के लिए सहयोग, जानने के लिए सीखने, मिलजुलकर रहने के लिए सीखने, जीवन के लिए सीखने जैसे सीखने के कौशल, जीवन कौशल, साक्षरता कौशल जिससे स्वयं, स्कूल, परिवार, समुदाय और देश के प्रति दायित्वों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● परामर्शदाताओं की एक समर्पित टीम के माध्यम से नियमित एक के साथ एक परामर्श ● पीयर लर्निंग के लिए समूह परामर्श। ● पालन-पोषण के संबंध में सेशन ● छात्रों के साथ साथ माता-पिता के आवश्यकता-आधारित मुद्दों को हल करने के लिए हेल्पलाइन। ● सेकेंडरी और सीनियर के लिए साइकोमेट्रिक असेसमेंट माध्यमिक विद्यालय के छात्र। ● कक्षा X और XII के लिए स्टीम चुनने और बारहवीं कक्षा के बाद सही करियर विकल्प बनाने के लिए करियर मार्गदर्शन। ● छात्र व्यक्तिगत प्रोफाइल (एसपीपी) बेसलाइन डेटाबेस और स्टूडेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड (एसडीआर) के रूप में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान किए गए हस्तक्षेपों के प्रभाव को दर्शाता है। <p>3. अनुभवी पेशेवरों और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से वेबिनार / वर्कशॉप्स अकादमिक, मूल्य और कौशल आधारित विभिन्न विषयों को कवर किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अकादमिक: विषय विशिष्ट, मूल्यांकन, प्रश्न पत्र आदि के प्रयास के लिए रणनीतियाँ। ● जीवन कौशल (लाइफ़ स्किल्स): समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल, लक्ष्य निर्धारण आदि। 21वीं सदी की प्रवीणता: समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, उद्यमिता, सहयोग और संचार। ● नियोजनीयता कौशल (एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स): रिज्यूम लेखन, इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, जॉब एप्लीकेशन - ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, आदि। <p>4. रेमेडिअल स्काफोल्डिंग: लर्निंग गैप को कम करने और छात्रों की दक्षता, साक्षरता और संख्यात्मकता की अवधारणाओं में सुधार के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रेमेडिअल सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रोग्राम के पहले भाग/वर्ष में, कक्षा III, IV और V में उपचारात्मक शिक्षा (रेमेडिअल लर्निंग) शुरू की जाएगी, उसके बाद दूसरे वर्ष कक्षा I, II और VI में और तीसरे वर्ष कक्षा VII और VIII में होगी। यह प्रयास प्रारंभिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेगा।</p>
----	-------------------	---

- ऑनलाइन: पूरे भारत में छात्रों की पहचान आधारिक मूल्यांकन, त्रैमासिक स्कूल रिपोर्ट और संबंधित स्कूलों के शिक्षकों द्वारा काउंसलरों के साथ उपलब्ध कराई गई या साझा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर की जाएगी।
- सप्ताह में 5-6 दिन और दिन में 2 घंटे के प्रोग्राम को संचालित करने के लिए बाह्य उपचारात्मक शिक्षकों (रेमेडिअल टीचर्स) की नियुक्ति की जाएगी। छात्र की प्रगति को संबंधित काउंसलरों को मासिक रूप से सूचित किया जाएगा, और द्वि-वार्षिक प्रभाव को एक विस्तृत रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा, जिसमें छात्र के तिमाही परिणाम, उपचारात्मक शिक्षक, काउंसलर और माता-पिता के इनपुट पर प्रकाश डाला जाएगा।
- पार्टनर स्कूल: एक जीरो पीरियड (शून्य अवधि) को समय सारिणी में लाया जाएगा जिसका उपयोग एक उपचारात्मक सत्र (रेमेडिअल सेशंस) के रूप में किया जाएगा, जो शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाएगा जो उनके कक्षा में सीखने के स्तर को बढ़ाने और हासिल करने में मदद करेगा। ये सेशंस/सत्र सप्ताह में 5 से 6 दिन चलेंगे। उपचारात्मक कक्षाओं के लिए नियुक्त शिक्षक, छात्र के त्रैमासिक परिणामों पर प्रकाश डालते हुए काउंसलर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो प्रोग्राम की प्रभावशीलता और सफलता के लिए माता-पिता से प्रतिक्रिया/फीडबैक भी लेंगे। छात्र की प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रभाव आकलन द्विवार्षिक किया जाएगा।
- यह उपाय/प्रोग्राम कोविड के दौरान स्कूली शिक्षा के आभाव के कारण उत्पन्न छात्रों के लर्निंग गैप को कम करने में मदद करेगी।

5. क्लस्टर आधारित पृथक्करण: स्कूल क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी 5-8 किलोमीटर के दायरे में सस्ती फीस और अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूलों की पहचान करेंगे, ताकि अधिकतम छात्रों को एक से तीन स्कूलों में प्रवेश दिया जा सके। (जहां भी संभव हो, यह मौजूदा छात्रों पर भी लागू होगा)।

- यह एक संस्थान में बड़ी संख्या में डीएलएफ छात्रों को स्थापित करने में मदद करेगा, संबंध और स्वामित्व की भावना पैदा करेगा और वित्तीय व्यवहार्यता और कार्यान्वयन और बेहतर समग्र प्रभाव के उद्देश्य से स्कूल और फाउंडेशन के बीच एक समझौता करेगा।
- ये क्लस्टर स्कूल गुणवत्ता की दिशा में सामूहिक प्रयास के लिए प्रमुख शिक्षण केंद्र हो सकते हैं। स्कूलों को शिक्षकों के लिए योग्यता-आधारित वर्कशॉप में सहायता दी जाएगी जो न केवल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लर्निंग में मदद करेगी बल्कि फाउंडेशन और स्कूलों के बीच साझेदारी को भी मजबूत करेगी।
- आसपास के 3 से 5 स्कूलों के केंद्रीकृत स्कूल हब, जिन्होंने डीएलएफ केयर्स छात्रों को प्रवेश दिया है, को छात्रों को असंख्य सामुदायिक पहलों यानी टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल कंप्यूटर वैन आदि के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
- इन स्कूलों में से शैक्षिक और सह-शैक्षिक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए दो साल के घूर्णी कार्यकाल के लिए एक हब स्कूल का चयन किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को सस्ती फीस पर गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में अध्ययन करने में मदद मिलेगी जिससे कम लागत पर प्रवेश बढ़ाने में सुविधा होगी।

- जो छात्र C ग्रेड स्कूलों में हैं, उन्हें बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आसपास के किसी भी हब स्कूल में अपग्रेड करने के लिए सहायता दी जाएगी।

6. स्कूल उपरांत लर्निंग प्रोग्राम: दसवीं और आगे की कक्षा के लिए

- वोकेशनल कोर्सों में रुचि रखने वाले छात्रों की पहचान और उन्हें दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय आदि जैसे कॉलेजों/संस्थानों से जोड़ना जो विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा/डिग्री/पेशेवर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। SBM स्कूल के छात्रों को दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों द्वारा दोपहर के पाठ्यक्रमों में समर्थन दिया जाएगा, ताकि बारहवीं कक्षा के बाद विश्वविद्यालय में आसानी से प्रवेश मिल सके।
- ग्यारहवीं कक्षा के मेधावी छात्रों को विद्या मंदिर के साथ साझेदारी में परीक्षाओं, जैसे कि NEET, JEE, CLAT आदि, की तैयारी के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। सिर्फ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर ही विचार किया जाएगा। हालाँकि, उनके लिए बारहवीं कक्षा तक वित्तीय सहायता जारी रखना उनकी ग्यारहवीं कक्षा की अंतिम रिपोर्ट और विद्या मंदिर द्वारा वार्षिक मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

7. कॉलेज प्रवेश काउन्सलिंग और मार्गदर्शन: स्कूल के बाद (बिगॉन्ड-स्कूल)

- अच्छी तरह से तैयार की गई करियर योजनाओं के द्वारा स्कूल और कॉलेज से आजीविका तक में परिवर्तन हेतु छात्रों को तैयार करने के लिए, प्रवेश की सुविधा, करियर मार्गदर्शन और कुछ मामलों में आवश्यकता आधारित छात्रवृत्ति सहायता, इंटर्नशिप आदि की आवश्यकता होती है।
- कम से कम 3-5 वर्षों तक छात्र प्रगति (बिगॉन्ड-स्कूल) को ट्रैक करके प्रभाव डेटा बनाया जाएगा। यह कार्य एलुमिनी बैंक बनाने और डीएलएफ छात्रों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
- इस तरह बने कनेक्शन, प्रोग्राम से लाभान्वित हुए छात्रों को अपनी विशेषज्ञता के द्वारा डीएलएफ केयर्स प्रोग्राम को प्रतिपूर्ति करने और मजबूत करने का अवसर देंगे।

8. डीएलएफ पार्टनर स्कूलों में शिक्षकों का क्षमता निर्माण

- संकाय विकास कार्यक्रम - डीएलएफ स्कूलों के शिक्षक सलाहकारों द्वारा आयोजित वर्कशॉप में भाग लेने के लिए सहयोगी स्कूलों के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।
- सभी शिक्षक प्रतिवर्ष कम से कम 12 ट्रेनिंग वर्कशॉप (निःशुल्क) में भाग लेंगे। यह उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों/चुनौतियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाएगा।
- वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी में उल्लिखित पाठ्यक्रम डिजाइन, कक्षा प्रबंधन और अन्य विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो आगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के शिक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

<p>16</p>	<p>प्रोग्राम में नामांकित छात्रों की प्रगति की मॉनिटरिंग (लेयर स्पेसिफिक)</p>	<p>डीएलएफ केयर्स प्रोग्राम यह सुनिश्चित करता है कि मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स इसके प्रत्येक क्रियाकलाप के अनुरूप हों। एक विशिष्ट क्रियाकलाप की जरूरतों के आधार पर इनकी समय-समय पर (पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक) निगरानी की जाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वार्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, MIS (मौजूदा विद्वानों के मास्टर डेटाबेस के साथ-साथ विद्वानों की नई भर्ती, ड्रॉपआउट और निर्गम सूची) को बनाए रखना। ● डोजियर: संपूर्ण डोजियर को एक डिजिटल लॉकर में निहित किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं: <ol style="list-style-type: none"> a) स्कॉलर पर्सनल प्रोफाइल, SPP जो उनके प्रोफाइल, पूर्व के शैक्षणिक रिजल्ट्स, परिवार और भाई-बहनों के विवरण को शामिल करता है। b) बेसलाइन असेसमेंट रिपोर्ट c) स्कॉलर डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDR: SDR को फिर से तैयार किया गया है। उनके पास बिंदु 3 में वर्णित 21^{वीं} सदी प्रवीणता वाले रिपोर्ट कार्ड घटक होंगे। d) स्कूल अकादमिक रिपोर्ट कार्ड: अर्धवार्षिक और वार्षिक। e) दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए साइकोमेट्रिक परीक्षण रिपोर्ट और व्यक्तिगत रोड मैप। f) पार्टनर स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति रिकॉर्ड। g) छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान की त्रैमासिक रसीद। ● छात्रों के प्रवेश के समय से ही बेसलाइन असेसमेंट के द्वारा उनके अधिगम/लर्निंग का मूल्यांकन करके निगरानी शुरू होगी। असेसमेंट के परिणामस्वरूप छात्र को प्रोग्राम में आयु और स्टेज के अनुसार रखा जाएगा। प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक प्रगति का मैप तैयार करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। ● सभी स्तरों पर एक रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा पूरे वर्ष शिक्षण के परिणामों की पहचान की जाएगी। छात्रों का असेसमेंट प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो - डिजिटल और मैनुअल दोनों, प्रेजेंटेशन आदि पर किया जाएगा। मानकीकृत रूब्रिक (निर्देश) बनाए जाएंगे और पार्टनर स्कूलों के साथ साझा किए जाएंगे। यह प्रत्येक छात्र को अपने स्तर और क्षमता पर मूल्यांकन करने की अनुमति देगा। लर्निंग के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। आवश्यकता के आधार पर समायोजन और सुधार किया जाएगा। इससे सूक्ष्म-स्तरीय रेमेडिअल/उपचारात्मक सहायता के लिए छात्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक छात्र के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड (SDR) बनाया जाएगा। ● सारे रिपोर्टों को संकलित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण: <ul style="list-style-type: none"> ● छात्रों/माता-पिता की त्रैमासिक काउन्सलिंग सेशन रिपोर्ट ● द्वि-वार्षिक रेमेडिअल/उपचारात्मक लर्निंग प्रभाव रिपोर्ट। ● एलुमिनी डेटाबेस का रखरखाव: स्कूल और कॉलेज के बाद बाहर प्रवेश और प्लेसमेंट पर जाने वाले छात्रों को ट्रैक करना। ● संबंधित काउन्सलरों के साथ छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रमुख की पार्टनर स्कूलों का मासिक दौरा।
-----------	--	---

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">● वेबिनार रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट: अधिकतम कवरेज और न्यूनतम लागत के लिए संपूर्ण प्रोग्राम की डिलीवरी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी। आवश्यकता के आधार पर जब भी जरूरत होगी वास्तविक बैठकें आयोजित की जाएंगी।● त्रैमासिक और वार्षिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट |
|--|--|---|

17	मुख्य परिणाम	क्रम संख्या	संकेतक (इंडीकेटर्स)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	
		इन-स्कूल प्रोग्राम					
		1.	अधिकांश छात्रों को स्कूलों में औपचारिक शिक्षा पूरी करनी चाहिए	95%	95%	95%	
		2.	लर्निंग 3-5 वर्षों में विभिन्न स्तरों पर प्रभावित होगी				
			सामाजिक-भावनात्मक स्तर	50-60%	60-80%	80-90%	
			अकेडमिक (शैक्षिक) स्तर	30-50%	50-70%	70-90%	
			आत्म-सम्मान और कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट)	30-50%	50-70%	70-90%	
			मूल्य-प्रणाली की पारिस्थितिकी	30-50%	50-70%	70-90%	
		3.	हब स्कूलों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच (दिल्ली, गुरुग्राम, एनसीआर, चेन्नई)।	30-50%	50-70%	70-90%	
		4.	रेमेडिअल/उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों (50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र) के प्रदर्शन में सुधार।	30-50%	50-70%	70-90%	
		5.	खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों तक पहुंच में वृद्धि। (स्कूल के खुले रहने और बेहतर गुणवत्ता वाले स्कूलों में प्रवेश के आधार पर)।	30-50%	50-70%	70-90%	
6.	भाषा, संचार कौशल और छात्रों के ज्ञान के संदर्भ में परिवर्तन, साथ ही लर्निंग के कई अवसरों (वेबिनार/वर्कशॉप/सम्मेलन आदि) तक बढ़ती पहुंच के कारण।	30-50%	50-70%	70-90%			
7.	लर्निंग और कौशल निर्माण के कई एक्टिविटीज (वर्कशॉप्स, संगोष्ठियां, आदि) में भागीदारी के द्वारा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के अनुभव को बढ़ाना।	30-50%	50-70%	70-90%			

		बिगॉन्ड-स्कूल प्रोग्राम				
		8.	छात्रों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स (पेशेवर पाठ्यक्रम) / कॉलेज में प्रवेश लेना चाहिए।	60-80%	70-80%	70-90%
		9.	उन छात्रों के लिए वोकेशनल/कौशल संस्थानों तक पहुंच में वृद्धि, जो अकादमिक रूप से इच्छुक नहीं हैं लेकिन कौशल ज्ञान के इच्छुक हैं	60-80%	70-80%	70-90%
18	प्रोग्राम की निरंतरता (जारी रहना)	<p>डीएलएफ केयर्स प्रोग्राम के तहत छात्रवृत्ति एक पात्रता नहीं है और निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रोग्राम की वार्षिक समीक्षा होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> माता-पिता की आय का स्तर (डीएलएफ केयर्स के पोर्टल पर साल में दो बार अपलोड होगा : 30वीं सितंबर और 31वीं मार्च) छात्र के अकैडमिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रदर्शन। असफल होने के कारण कक्षाएँ दोहराते पाए जाने वाले छात्रों के लिए प्रोग्राम जारी रखने की समीक्षा की जाएगी। अनुशासनहीनता होने पर प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। 				

19	अपात्रता	<ul style="list-style-type: none">यदि छात्र/अभिभावक प्रोग्राम के अनुपालन में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते पाए जाते हैं (अनुलग्नक A देखें), तो यह प्रोग्राम से निष्कासन सहित उचित कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।
20	छूट (रियायत)/ संशोधन/ प्रोग्राम का समापन	प्रबंधन अपने विवेकाधिकार पर किसी भी या सभी नियमों और शर्तों को संशोधित कर सकता है या रियायत दे सकता है या बिना कोई कारण बताए प्रोग्राम को वापस ले सकता है।

अनुलग्नक A

नियम व शर्तें

आप यह भी नोट कर सकते हैं कि प्रोग्राम में आपके बच्चे का बना रहना उसके द्वारा नियमों और शर्तों के पालन और काउंसलिंग टीम द्वारा वार्षिक रूप से समीक्षा किए गए शैक्षणिक प्रदर्शन पर आधारित होगी। यदि छात्र/माता-पिता प्रोग्राम के अनुपालन में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते पाए जाते हैं (जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है) तो यह प्रोग्राम से निष्कासन सहित उचित कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

- a. छात्रवृत्ति सहायता प्राप्त करने के लिए जालसाजी/अनुचित साधनों का प्रयोग।
- b. माता-पिता की रोजगार स्थिति ; आवेदक की आयु और शैक्षिक विवरण (कक्षा और स्कूल) के बारे में जाली/गलत/अपूर्ण जानकारी दर्ज करना।
- c. डीएलएफ केयर्स एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम के तत्वावधान में प्राप्त वित्तीय सहायता का अनुचित उपयोग/दुरुपयोग।
- d. बारहवीं कक्षा पूरी होने से पहले नियमित स्कूली शिक्षा बंद करना/छोड़ देना।
- e. माता-पिता या छात्र के साथ अनुशासनात्मक/अनुपालन मुद्दों के कारण प्रबंधन/काउंसलर/पार्टनर स्कूलों से प्राप्त अनुशासा।
- f. प्रोग्राम के दौरान निर्धारित विभिन्न हस्तक्षेपों में माता-पिता/वार्ड द्वारा लगातार उपेक्षा और भागीदारी का अभाव।
- g. पूर्व-अपेक्षित औपचारिक साइकोमेट्रिक/शैक्षिक/कैरियर असेसमेंट से इनकार करना, जोकि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।
- h. माता-पिता/बच्चों के लिए निर्धारित समय-समय पर काउंसलिंग सेशन/वेबिनार/वर्कशॉप्स में भाग नहीं लेना।
- i. समय-समय पर आवश्यक होमवर्क, असाइनमेंट पूरा करने सहित अपने वार्ड के समग्र शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में सुधार के लिए निम्नलिखित निर्देशों में माता-पिता द्वारा सक्रिय समर्थन का अभाव।
- j. डीएलएफ फाउंडेशन द्वारा निर्धारित माता-पिता/वार्ड द्वारा अनुशासन और आचार संहिता का उल्लंघन।
- k. यदि छात्र किसी साथी स्कूल में नामांकित है तो अकेडमिक (शैक्षणिक) प्रदर्शन / स्कूली शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव।
- l. उस छात्र के लिए छात्रवृत्ति सहायता की वापसी, जिसके माता-पिता ने स्वेच्छा से इसे वापस किया है।

- m. पार्टनर स्कूल में नामांकित कोई भी छात्र जो पूर्व सूचना के साथ/बिना स्थायी रूप से अपने पैतृक गांव में स्थानांतरित हो जाता है, उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी और पार्टनर स्कूल में उसका प्रवेश स्वतः रद्द हो जाएगा।
- n. कोई भी छात्र जो किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है या फाउंडेशन से उचित अनुमति लिए बिना स्वयं कक्षा को दोहराता है, उसकी छात्रवृत्ति सहायता स्वतः वापस ले ली जाएगी।